एच0सी0 अवस्थी,
भा0पु0से0

डी0जी0 परिपत्र संख्या: 11/2020

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
सिग्नेचर बिल्डिंग, टावर-2, पुलिस मुख्यालय,
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

दिनांक: लखनऊ: मार्च 21 , 2020

प्रिय महोदय,

प्राय: यह देखा जा रहा है कि किसी कानून व्यवस्था सम्बन्धी घटना के होने पर एकत्र भीड़ द्वारा सार्वजनिक व व्यवसायिक स्थलों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य मार्ग जाम करने के साथ प्रदर्शन/भीड़ में सम्मिलित असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसात्मक गतिविधियाँ कारित किये जाने की घटनायें प्रकाश में आ रही है, जिसके कारण कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है जिससे जनमानस में भय व्याप्त होना स्वभाविक है।

2. भीड़ द्वारा कारित हिंसात्मक कार्यवाही की घटनाओं की प्रवृति पर अंकुश लगाने एवं ऐसी घटनाओं को किसी भी स्थिति में कारित न होने देने के उद्देश्य से इस मुख्यालय से पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये है। उ0प्र0 पुलिस रेग्यूलेशन के प्रसार-70 के अनुदेश खण्ड-ग में भीड़ के विरूद्ध पुलिस द्वारा बल के उपयोग को शासित करने वाले मुख्य सिद्धान्त भी प्राख्यापित है।

डीजी–आठ–94(21)–2017 दिनांक 28.08.2019
डीजी–आठ–94(21)–2017 दिनांक 14.06.2019
डीजी परिपत्र संख्या: 41/2018 दिनांक 26.07.2018
डीजी परिपत्र संख्या: 17/2013 दिनांक 30.04.2013

3. प्रदेश के कतिपय जनपदों में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019 व एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि प्रदर्शन/भीड़ को नियन्त्रित करने में पुलिस बल द्वारा इस मुख्यालय से निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन करने में कतिपय कठिनाईयाँ आयी है। संभावित है कि स्थानीय परिस्थितियों के कारण असहज परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है।

4. पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को विधिक प्रावधानों के अनुरूप किसी संभावित घटना को घटित न होने देना ही उनकी कार्य कुशलता को प्रदर्शित करता है।

अत: आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि भीड़ को नियन्त्रित करने हेतु निर्गत परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: पालन करायें। सभी प्रवर्तन अधिकारियों व पर्यवेक्षण अधिकारियों को स्पष्टत: आदेशित किया जाता है कि स्थानीय अभिसूचना व प्रभावी बीट पुलिसिंग व्यवस्था स्थापित करें तथा वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर दिशा-निर्देश भी प्राप्त करें। यदि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो परिक्षेत्रीय व जोनल पर्यवेक्षण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी) 21/3/20

1-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, (नाम से)
उत्तर प्रदेश।
2-पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर (नाम से)
3-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक,(नाम से)
उत्तर प्रदेश।
4-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद,(नाम से)
उत्तर प्रदेश।